THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) and (b). As indicated in the reply of the Government in revised paragraphs of the Action Taken Report (ATR) on the report of the Joint Parliamentary Committee to enquire into irregularities in securities and banking transactions laid in the Parliament on 20th December, 1994, all identified scam related cases have been handed over to the CBI which has registered 48 cases involving 96 accused persons both from inside and outside the banking system. 76 persons have been chargesheeted and/or dealt with departmentally. Government also terminated the services of Chairman and Managing Director, UCO Bank, Managing Director, State Bank of India, Executive Director, Syndicate Bank and Executive Director, Bank of Maharashtra. Public sector banks and financial institutions have identified 107 officials for their involvement in irregularities in securities transactions and departmental action has been initiated according to the prescribed procedure.

A Special Court has been constituted by the Government to ensure speedy trial of scam related cases and to permit attachment of property of notified persons including all those whose names figured in various investigations.

An inter-disciplinary group has been constituted for coordinating the efforts in tracing the funds involved and assets created. Properties of notified persons amounting to Rs. 2910 crores (as on 30.11.1994) have been attached.

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सुधार

203. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारतीय अर्थ-व्यवहस्था में सुधार के लिये विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा क्या सुझाव दिये गये हैं ;

(ख) अपने सुझावों को मनवाने के लिये इन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किस प्रकार दबाव डाले गये हैं ; और

(ग) इन सुझावों के आधार पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ सहायता संबंधी समझौतों के दौरान विचारों का आदान-प्रदान हुआ और यह स्वाभाविक है कि इन समझौतों अथवा विचार-विमर्शों के दौरान कुछ सुझाव प्रकट हुए होंगे। हालांकि, नीति बनाना भारत सरकार का सर्वसत्ताधारी अधिकार है और इसलिये विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा कोई विदेशी एजेंसी अपने सुझावों को स्वीकार करने के लिये भारत सरकार को निर्देश नहीं दे सकती/कह नहीं सकती। सरकार ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि अपने राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखा जाता है और विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण पैकेज के विभिन्न घटक हमारी प्राथमिकताओं और नीतियों के अनुसार हैं।

छोटी जमा बचतों के लिए ब्याज दर

204. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष 1991 में छोटी जमा बचतों के लिये ब्याज की दर कितनी थी तथा इस संबंध में वर्तमान ब्याज दर कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि बैंकों में छोटी जमा बचतों के लिये ब्याज दर में कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?